राजस्थान सरकार
शासन सचिवालय

क्रमांक–एफ 21(182) तक/मूसं/विविध पार्ट–II/सम./2016–17/ जयपुर, दिनांक 16/06/2017

<u>परिपत्र</u>

किसी भी राजकीय परियोजना/कार्यक्रम की सफलता के लिये मूल्यांकन एक अपरिहार्य अंग हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के द्वारा परियोजना/कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं क्रियान्वयन पश्चात् प्रभाव के अंतर का आकलन किया जाकर क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाया जाता हैं।

उक्त मूल्यांकन प्रक्रिया को सतत् रुप से संपादित करने के लिए मूल्यांकन संगठन को विभिन्न विभागों द्वारा मूल्यांकन संबंधित सूचना समयबद्ध रुप से उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

अतः समस्त विभागों से यह अपेक्षित है कि वे मुख्यालय एवं विभिन्न कार्यालयस्थलों से मूल्यांकन विभाग द्वारा वांछित सूचनाओं में आवश्यक सहयोग देवें एवं क्षेत्र कार्य हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि मूल्यांकन प्रतिवेदन राज्य सरकार को यथासमय प्रस्तुत किये जा सकें।

(ओम प्रकाश मीना)
मुख्य सचिव
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ 21(182) तक/मूसं/विविध पार्ट–II/सम./2016–17/ जयपुर, दिनांक 16/06/2017

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रमुख सचिव, माननीया मुख्यमंत्री (आयोजना मंत्री), राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
3. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
4. समस्त विभागाध्यक्ष।
5. समस्त प्रबन्ध निदेशक, निगम/बोर्ड।
6. समस्त जिला कलक्टर।

प्रमुख शासन सचिव
आयोजना, राज0,जयपुर